न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3946/2005/भरतपुर

1– शेर सिंह पुत्र श्री जोरमल (मृतक)
1/1. करूनेश पुत्री शेरसिंह (मृतक)
1/1/1. शौर्य सिंह पुत्र करूनेश सिंह
1/1/2. शानु सिंह पुत्र करूनेश सिंह
1/2. कमलेश पुत्री शेरसिंह (नाम तर्क)

------ अपीलांट

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्र श्री तुलाराम, जाति जैन निवासी सिनसिनी, तहसील डींग हाल निवासी शेरसिंह नगर (तिलक नगर) हीरादास, भरतपुर।
2– ग्यानी देवी पत्नी नंदकिशोर, जाति वैश्य, निवासी तिलक नगर, भरतपुर।
3– महेन्द्र कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन, पुराना अस्पताल, भरतपुर हाल निवासी तिलक नगर, भरतपुर।

------ रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक :– 17.07.2025

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की अपील

संख्या 117/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट की ओर से एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा अपनी कब्जे शुदा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की गयी है तथा बयनामा के आधार पर कब्जा लिया है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम करते हुए उनका विस्तृत विवेचन कर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 से दावा वादीगण खारिज कर दिया गया। इसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट शेरसिंह की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–04–2005 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर दी गई। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2005 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये हैं कि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमें को इस आधार पर खारिज करके विधिक अनियमितता की है कि जब अपीलकर्ता का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं कर रहा था, तो वह किसी भी राहत की माँग करने का हकदार नहीं था। अपीलीय न्यायालय

द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों को गलत तरीके से समझा और गलत मूल्यांकन किया है। जिसका उद्देश्य विवादित भूमि से अतिचारी को बेदखल करना है। इसका मतलब यह था कि जिस वादी द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मुकदमा दायर किया है, वह स्वाभाविक रूप से कब्जे से बाहर हो जाएगा और बेदखली का उपाय, जो इस धारा के तहत प्रदान किया गया है, आसानी से उपलब्ध है। उसके पास उपलब्ध भूमि है और वह प्रतिवादी को बेदखल करने की मांग कर सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की ओर से यह कहना पूरी तरह से तर्कहीन है कि अपीलकर्ता इस तथ्य के कारण किसी भी राहत की माँग करने का हकदार नहीं था कि वह विवादित भूमि के कब्जे से बाहर था। अपीलकर्ता द्वारा अपना मामला दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है। जमाबंदी में राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 के तहत सत्यता की धारणा जुड़ी हुई है और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में, वह विवादित खसरा संख्या 4034/5272 का दर्ज खातेदार है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रतिवादियों ने विवादित भूमि पर घर बनाया हुआ था और उसमें रह रहे थे। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस सुस्थापित कानून को नजरअंदाज कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भूमि पर अतिक्रमण करता है उसे इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना बेदखल किया जाना चाहिए कि उसने जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है, उस पर कोई निर्माण किया है या नहीं। अतिक्रमण करने वाले द्वारा निर्माण करना विवादित भूमि पर उसके कब्जे को वैध नहीं बनाता जो उसकी नहीं है। अपीलकर्ता विवादित भूमि का दर्ज खातेदार था, लेकिन दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख तक नहीं किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2005 एवं सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2004 निरस्त किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में रेस्पो0 के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि वादग्रस्त आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा नहीं है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी पर मकान बना हुआ है और उसमें वह रह रहा है। वादी/अपीलांट का वाद विचारण न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया है जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर भी उन्होंने अपने आलौच्य निर्णय से वादी/अपीलांट की द्वितीय अपील सारहीन होने से सही खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। आलौच्य आदेशों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसको विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 से खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर में होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 29–04–2005 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर दी। इन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

8– सहायक कलक्टर, भरतपुर ने अपने आलौच्य निर्णय में माना है कि नकल जमाबन्दी साबिक व हाल सैटलमेन्ट तथा तुलनात्मक नकल की फोटो प्रति तथा मौका रिपोर्ट प्रदर्श–6 एवं मौका रिपोर्ट प्रदर्श–8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने जो अपनी आराजी का बेचान किया है, वह कृषि करने के उद्देश्य से नहीं करते हुए वरन् आवासीय प्रयोजनार्थ किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक वादी शेरसिंह को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार बताया है जबकि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। जब वादी का विवादित आराजी पर कब्जा ही

नहीं है तो वादी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी का मौके पर मकान बना हुआ है और उसमें वह रह रहा है। वादी द्वारा जो हाल जामबन्दी तैयार हुई है उसकी नकल प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिए हाल जमाबन्दी की नकल पेश नहीं करने के कारण तथा मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा तनकी सं0 1 व 2 खिलाफ वादी तय की गयी हैं।

वादी का जब विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है और मौके पर पक्की तामीरात हो रही है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा चलने योग्य नहीं है तथा दावे में महेन्द्र कुमार को गलत पक्षकार बनाया है जबकि रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0 3 के हक में है। इसलिए इसलिए तनकी सं0 3 खिलाफ वादी तय की गयी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया है।

9– उक्त निर्णय की अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय में अंकित किया है कि पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड से यह बखूबी साबित है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है तो उसके द्वारा अपने दावे में जो रिलीफ चाही है उसे वह प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। मौके पर प्रतिवादी का कब्जा होकर मकान बना हुआ है। वादग्रस्त आराजी महेन्द्र कुमार की पत्नि द्वारा क्रय की गयी है और पक्षकार महेन्द्र कुमार को बनाया गया है जो कि कानूनन गलत है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी की क्रयशुदा आराजी है एवं उस पर रेस्पोडेन्ट का मकान बना हुआ है जिससे वादी अब उक्त दावे व अपील के माध्यम से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं0 1 ल0 3 में जो विवेचन कर निर्णय पारित किया है, वह कानूनसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 को यथावत् रखा गया है।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होना माना गया है तथा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की

अपील डिक्री/टीए/3946/2005/भरतपुर
शेर सिंह बनाम ओम प्रकाश

क्रयशुदा आराजी है जिस पर उसका मकान बना हुआ है। वादग्रस्त आराजी महेन्द्र कुमार की पत्नि द्वारा क्रय की गयी है जबकि पक्षकार महेन्द्र कुमार को बनाया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तनकियात विरचित कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किये गये हैं जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं। इसलिए अपील अपीलांट अस्वीकार्य होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से **खारिज** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2005 एवं सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 बदस्तुर बहाल रखे जाते हैं।

13– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य